ग्राम समाज भूमि

3407/11

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10 Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

₹ 3AB 890918

(92)

CERTIFICATE

In pursuance of the order of the collector No. 72 .... dated 12-04-2010 .... passed under Section 10-A at the stamp act is certified that an amount of **Rs. 20,00,000/-** in words **(Rupees Twenty Lacs Only)** has been paid by Sachiv Lucknow Vikas Pradhikaran through Director Viraj construction Pvt Ltd. in cash as stamp duty in respect of this instrument in the State Bank of India Lucknow by Challan No. 9060021 .... dated 11-03-2011 .... a copy of which is annexed herewith.

Chief Treasury Officer
Lucknow

Dated. 12-03-2011

12/03/2011
मुख्य कोषाधिकारी

For, Viraj Constructions Pvt. Ltd.
Director

क्रमांक ४९/८७ 11/3/11
19

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

01 MAR

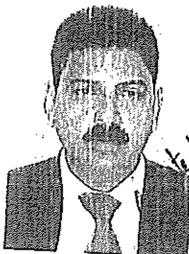

(आनन्द कुमार सिंह)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

पट्टा–विलेख

यह पट्टा सन् 2011 के माह मार्च के 22 वे दिन तदनुसार सक संवत–1932 के माह फाल्गुन के .... वे दिन को श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश (जिनको यहाँ आगे चलकर "पट्टादाता" कहा गया है) प्रथम पक्ष तथा विराज कान्स्ट्रक्सन प्राइवेट लिमिटेड, जो कम्पनी ऐक्ट, 1956 के अधीन एक पंजीकृत कम्पनी है, एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय 55, पुराना किला, लखनऊ है, (जिनको यहाँ आगे चलकर "पट्टेदार" कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य लिखा गया है।

For, Viraj Constructions Pvt. Ltd.

Director

(आनन्द कुमार सिंह)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक ....

मूल्य ....

नाम ...... Secretary Lucknow Development Authority

द्वारा ...... [illegible] Cantonment [illegible]

लेखा लोकलिपिक   मुख्य लोकलिपिक

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

01 MAR

(2)

चूँकि पट्टेदार एक आवास निर्माण कम्पनी है जिसका उद्देश्य धर्म, जाति, वर्ग, भाषा, सम्प्रदाय आदि का भेद–भाव किये बिना सभी के लिये आवास निर्माण कर विक्रय किये जाने का है, जिसके निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था करना है;

और चूँकि शासनादेश सं0–2711 / आ–1–05–34 विविध / 03, दिनांक 21.05.05 द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास हेतु नीति (जिसे एतद्पश्चात् उक्त नीति कहा गया है) निर्गत की गयी है;

For, Viraj Constructions Pvt. Ltd

Director

(आनन्द कुमार सिंह)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

Secretary Lucknow Development Authority,
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

01 MAR

(3)

और चूँकि पट्टादाता ने पट्टेदार के अनुरोध पर उक्त नीति के अनुसरण में इस विलेख की अनुसूची में वर्णित भूमि 8.387 हेक्टेयर को, अधिसूचना सं0–928/एक–1/2008–5–1 (80)/2007–145, दिनांक 14 मई, 2008 सपठित राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या–352/एक–1–2009, दिनांक–13.02.09 के अधीन उक्त भूमि को पुनर्ग्रहीत कर लिया है और जो सभी प्रकार के भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित है।

For, Viraj Constructions Pvt Ltd

Director

(आनन्द कुमार सिंह)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

Secretary Lucknow Development Authority

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

01 MAR 20

(5)

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथासंशोधित गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट, 1895 (सन् 1895 ई0 का एक्ट संख्या–15) के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि रू0 2,79,00,950,00 (रू0 दो करोड़ उन्यासी लाख नौ सौ पचास) मात्र के प्रीमियम (जिसकी प्राप्ति पट्टादाता एतद्द्वारा स्वीकार करता है) तथा आगे आरक्षित वार्षिक किराया रू0 31089.00 (रूपया इकत्तीस हजार नवासी) मात्र के प्रतिफल स्वरूप और पट्टेदार द्वारा की गयी प्रसंविदाओं को ध्यान में रखकर पट्टादाता एतद्द्वारा वह सब भूखण्ड जिनका विवरण इसकी अनुसूची में दिया है और जो स्पस्टीकरण के लिए इस विलेख से संलग्न रेखाचित्र में लाल रंग से रंग दिया गया है (जिसे

For, Viraj Constructions Pvt. Ltd.

Director

(आनन्द कुमार सिंह)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

Secretary Lucknow Development Authority
Affidavit? Carrying Compliance? Order?

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 Rs. 25000

पच्चीस हजार रुपये TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

01 MAR 20

(5)

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथासंशोधित गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट, 1895 (सन् 1895 ई0 का एक्ट संख्या–15) के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि रू0 2,79,00,950,00 (रू0 दो करोड़ उन्यासी लाख नौ सौ पचास) मात्र के प्रीमियम (जिसकी प्राप्ति पट्टादाता एतद्द्वारा स्वीकार करता है) तथा आगे आरक्षित वार्षिक किराया रू0 31089.00 (रूपया इकतीस हजार नवासी) मात्र के प्रतिफल स्वरूप और पट्टेदार द्वारा की गयी प्रसंविदाओं को ध्यान में रखकर पट्टादाता एतद्द्वारा वह सब भूखण्ड जिनका विवरण इसकी अनुसूची में दिया है और जो स्पस्टीकरण के लिए इस विलेख से संलग्न रेखाचित्र में लाल रंग से रंग दिया गया है (जिसे

For, Viraj Constructions Pvt. Ltd.

Director

(आनन्द कुमार सिंह)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

Secretary Lucknow Development Authority
Akhilesh [illegible] Cantonment [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

01 MAR 20

(6)

आगे "उक्त भूमि" कहा जायेगा) पट्टेदार को सन् 2011 के मार्च माह के .... वे दिन से 30 (तीस) वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर निम्न शर्तों पर हस्तांतरित करते हैं। इस आधिपत्य के उपलक्ष्य में उक्त अवधि के लिये पट्टेदार समस्त कटौतियों को छोड़कर रू0 31089.00 (रूपया इकतीस हजार नवासी) मात्र का वार्षिक किराया प्रत्येक वर्ष के माह जून के पहले सप्ताह में कलेक्टर लखनऊ के कार्यालय में या पट्टादाता द्वारा समय–समय पर नियत स्थान पर या स्थानों पर भुगतान करेगा।

For, Viraj Constructions Pvt. Ltd.

Director

(आनन्द कुमार सिंह)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

Secretary Lucknow Development Authority [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8824

(7)

और पट्टेदार से पट्टादाता निम्न प्रसंविदा करता है :–

1. यह कि पट्टेदार उक्त भूमि का उपयोग केवल निर्धारित प्रयोजन हेतु ही करेगा। उक्त भूमि भिन्न प्रयोजनों में उपयोग किये जाने पर राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह उक्त भूमि को पट्टेदार से वापस ले–ले।

2. यह कि पट्टेदार द्वारा उक्त भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि का कब्जा ले लिये जाने अथवा पट्टेदार को

For, Viraj Constructions Pvt Ltd

Director

(आनन्द कुमार सिंह)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

Secretary Lucknow Development Authority

Lucknow Nagar Nigam Corporation

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

88243

(8)

भूमि की आवश्यकता न होने पर उसे राज्य सरकार को समर्पित किये जाने की स्थिति में पट्टेदार को उक्त भूमि पर निर्मित किसी भवन अथवा अन्य निर्माण की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

3. यह कि पट्टेदार ने वार्षिक किराया रू0 31089.00 (रूपया इकतीस हजार नवासी) मात्र की दर से रू0 31089.00 की धनराशि पट्टाविलेख के निष्पादन के पूर्व अर्थात दिनांक--17.06.08 को चालान संख्या--9898034/357, 9931865/358 तथा 9953694/360 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा,

For, Viraj Constructions Pvt. Ltd.

Director

(आनन्द कुमार सिंह)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

Secretary Lucknow Development Authority
[illegible] Commission [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

लखनऊ में जमा कर दिया है और पट्टेदार पट्टा के दौरान प्रतिवर्ष माह जून के प्रथम सप्ताह में या पहले वार्षिक किराया जमा करता रहेगा।

4. यह कि पट्टेदार उक्त वार्षिक किराया अग्रिम के रूप में प्रतिवर्ष जमा करेगा।

5. यह कि उक्त भूमि का उपयोग 03 (तीन) वर्ष में निर्धारित प्रयोजन हेतु न किये जाने की स्थिति में पट्टादाता द्वारा पट्टेदार को सुनवाई का अवसर देकर पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा।

For, Viraj Constructions Pvt. Ltd

Director

Sd/- 19-8-17

Secretary Lucknow Development Authority

[illegible] Commissioner [illegible]

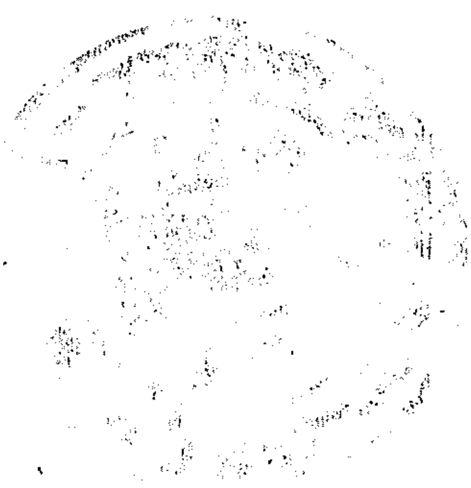

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs.

₹. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 0...

(20)

50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) से अधिक न हो जो कि नवीनीकरण के ठीक पहले देय था और सिवाय उस किराये की धनराशि जो तद्नुसार निर्धारित की जाय और उस अवधि के जो स्वीकार की जाय, उक्त भूमि के प्रत्येक नवीकृत पट्टे में इस विलेख की केवल उन्हीं प्रसंविदाओं, उपबन्धों एवं प्रतिबन्धों को समावेश होगा जो उस समय लागू होंगे। किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि पट्टेदार उपर्युक्त अवधि में ऐसे सब कर, दर तथा अन्य परिव्ययों का भुगतान करेगा जो हस्तान्तरित उक्त भूमि के संबंध में पट्टादाता अथवा पट्टेदार द्वारा इस समय देय है अथवा भविष्य में देय होगा।

For, Viraj Constructions Pvt. Ltd

Director

(आनन्द कुमार सिंह)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

Secretary Lucknow Development Authority

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs.

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(21)

और इस विलेख के दोनों पक्ष अग्रेतर करार करते हैं कि:—

(क) उक्त भूमि को पट्टे पर देने हेतु पट्टाविलेख के निष्पादन एवं पंजीयन पर होने वाले व्यय का वहन पट्टेदार द्वारा किया जायेगा।

For, Viraj Constructions Pvt. Ltd

Director

(आनन्द कुमार सिंह)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

10/12/2009

Secretary Lucknow Development Authority

[illegible] [illegible] [illegible]

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु. 50 Rs. 50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH X 403533

(22)

(ख) उक्त भूमि के हस्तांतरण एवं निष्पादित होने वाले पट्टाविलेख की शर्तो के संबंध में यदि कोई मतभेद/विवाद उत्पन्न होगा तो उस पर सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

(ग) उक्त भूमि पर या उसके नीचे पाये गये खान एवं खनिजों पर पट्टादाता का अधिकार रहेगा।

For, Viraj Constructions Pvt. Ltd.

Director

(... कुमार सिंह)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

Secretary Lucknow Development Authority

(23)

अनुसूची

भूमि का विवरण

क.	जनपद	तहसील	परगना	भूमि का विवरण ग्राम /ग्रामसभा	खसरा /गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण प्रयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लखनऊ	लखनऊ	लखनऊ	सेमरा	229	0.020	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के निर्वतन पर रखते हुये विराज कान्स्ट्रक्षन प्रा.लि. द्वारा प्रस्तावित इन्टीग्रेटेड टाउनशिप हेतु।
					261	0.014	
					276	0.028	
					255	0.089	
					281	0.063	
					292	0.173	
					226	0.115	
					230	0.044	
					231	0.076	
					273	0.046	
					277	0.148	
					259	0.006	
					284	0.200	
					13 गाटा	1.022	
2	लखनऊ	लखनऊ	लखनऊ	शाहपुर	40	0.067	
					46	0.081	
					71	0.721	
					89	0.129	
					295	1.189	
					56	0.658	
					69स	0.746	
					70	0.987	
					226	0.607	
					229	0.332	
					230स	0.873	
					231	0.051	
					250	0.038	
					256	0.190	
					257	0.240	
					260	0.126	
					261स	0.073	
					296/224	0.164	
					18 गाटा	7.272 हे0	
3	लखनऊ	लखनऊ	लखनऊ	सरायषेख	51	0.080	
					62	0.013	
					02 गाटा	0.093 हे0	
					कुल 33 गाटा	8.387 हे0	

For, Viraj Constructions Pvt. Ltd.

(आनन्द कुमार सिंह)
सचिव

Director

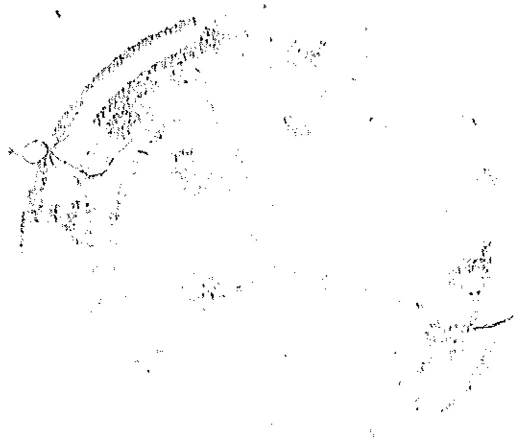

चौहद्दी ग्राम सेमरा

खसरा नं0 229

पूरब	–	भूमि खसरा नं0 228
पश्चिम	–	भूमि खसरा नं0 230
उत्तर	–	भूमि खसरा नं0 231
दक्षिण	–	भूमि खसरा नं0 226

खसरा नं0 261

पूरब	–	भूमि खसरा नं0 264
पश्चिम	–	भूमि खसरा नं0 277
उत्तर	–	भूमि खसरा नं0 260
दक्षिण	–	भूमि खसरा नं0 262 व 263

खसरा नं0 276

पूरब	–	भूमि खसरा नं0 289
पश्चिम	–	भूमि खसरा नं0 277
उत्तर	–	भूमि खसरा नं0 275
दक्षिण	–	भूमि खसरा नं0 279 व 280

खसरा नं0 255

पूरब	–	भूमि खसरा नं0 256
पश्चिम	–	भूमि खसरा नं0 179
उत्तर	–	भूमि खसरा नं0 253 व 254
दक्षिण	–	भूमि खसरा नं0 257

खसरा नं0 281

पूरब	–	भूमि खसरा नं0 282 की शेष आराजी
पश्चिम	–	भूमि खसरा नं0 280
उत्तर	–	भूमि खसरा नं0 282
दक्षिण	–	सीमा ग्राम शाहपुर

खसरा नं0 292

पूरब	–	भूमि खसरा नं0 269
पश्चिम	–	भूमि खसरा नं0 275
उत्तर	–	भूमि खसरा नं0 272
दक्षिण	–	भूमि खसरा नं0 291 व 293

For, Viraj Constructions Pvt. Ltd

Director

(आनन्द कुमार सिंह)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

खसरा नं0 226

पूरब	—	भूमि खसरा नं0 251
पश्चिम	—	भूमि खसरा नं0 189
उत्तर	—	भूमि खसरा नं0 227
दक्षिण	—	भूमि खसरा नं0 185

खसरा नं0 230

पूरब	—	भूमि खसरा नं0 229
पश्चिम	—	भूमि खसरा नं0 223 व 225
उत्तर	—	भूमि खसरा नं0 231
दक्षिण	—	भूमि खसरा नं0 226

खसरा नं0 231

पूरब	—	भूमि खसरा नं0 243
पश्चिम	—	भूमि खसरा नं0 223 की शेष आराजी
उत्तर	—	भूमि खसरा नं0 232
दक्षिण	—	भूमि खसरा नं0 223

खसरा नं0 273

पूरब	—	भूमि खसरा नं0 272
पश्चिम	—	भूमि खसरा नं0 277
उत्तर	—	भूमि खसरा नं0 263
दक्षिण	—	भूमि खसरा नं0 275

खसरा नं0 277

पूरब	—	भूमि खसरा नं0 274 आदि
पश्चिम	—	भूमि खसरा नं0 89 आदि
उत्तर	—	भूमि खसरा नं0 106
दक्षिण	—	सीमा ग्राम शाहपुर

खसरा नं0 259

पूरब	—	भूमि खसरा नं0 265
पश्चिम	—	भूमि खसरा नं0 106
उत्तर	—	भूमि खसरा नं0 258
दक्षिण	—	भूमि खसरा नं0 260

For, Viraj Constructions Pvt. Ltd.

Director

(आनन्द कुमार सिंह)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

खसरा नं0 284

पूरब — भूमि खसरा नं0 301 व 302
पश्चिम — भूमि खसरा नं0 280
उत्तर — भूमि खसरा नं0 285
दक्षिण — भूमि खसरा नं0 283

चौहद्दी ग्राम शाहपुर

खसरा नं0 40

पूरब — भूमि खसरा नं0 41, 43, 44, 45
पश्चिम — भूमि खसरा नं0 28, 38, 39
उत्तर — सीमा ग्राम सेमरा
दक्षिण — भूमि खसरा नं0 89

खसरा नं0 46

पूरब — भूमि खसरा नं0 47, 51, 52
पश्चिम — भूमि खसरा नं0 41, 42, 44, 45
उत्तर — सीमा ग्राम सेमरा
दक्षिण — भूमि खसरा नं0 89

खसरा नं0 71

पूरब — भूमि खसरा नं0 69, 70
पश्चिम — भूमि खसरा नं0 74, 56
उत्तर — भूमि खसरा नं0 62
दक्षिण — भूमि खसरा नं0 72

खसरा नं0 89

पूरब — भूमि खसरा नं0 56
पश्चिम — भूमि खसरा नं0 111
उत्तर — भूमि खसरा नं0 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28, 40, 45, 46, 52,
दक्षिण — भूमि खसरा नं0 109, 108, 107, 106, 90, 89, 86, 78, 77, 76, 75, 74, 80

For, Viraj Constructions Pvt. Ltd.

(आनन्द [illegible])
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

खसरा नं0 56

पूरब	—	भूमि खसरा नं0 57, 62
पश्चिम	—	भूमि खसरा नं0 52
उत्तर	—	भूमि खसरा नं0 53, 54, 55
दक्षिण	—	भूमि खसरा नं0 71, 74

खसरा नं0 70

पूरब	—	भूमि खसरा नं0 71, 72
पश्चिम	—	भूमि खसरा नं0 68
उत्तर	—	भूमि खसरा नं0 69
दक्षिण	—	भूमि खसरा नं0 260 व 261

खसरा नं0 69 स

पूरब	—	भूमि खसरा नं0 66, 68
पश्चिम	—	भूमि खसरा नं0 71
उत्तर	—	भूमि खसरा नं0 62
दक्षिण	—	शेष भूमि खसरा नं0 69

खसरा नं0 226

पूरब	—	भूमि खसरा नं0 227, 228, 229
पश्चिम	—	भूमि खसरा नं0 138
उत्तर	—	भूमि खसरा नं0 138, 137, 136, 93
दक्षिण	—	भूमि खसरा नं0 225, 235

खसरा नं0 229

पूरब	—	भूमि खसरा नं0 230
पश्चिम	—	भूमि खसरा नं0 226
उत्तर	—	भूमि खसरा नं0 230, 226
दक्षिण	—	भूमि खसरा नं0 228

खसरा नं0 230 स

पूरब	—	भूमि खसरा नं0 256
पश्चिम	—	भूमि खसरा नं0 226, 229
उत्तर	—	भूमि खसरा नं0 93, 83, 82, 79
दक्षिण	—	भूमि खसरा नं0 255 व 231

For, Viraj Construction Pvt. Ltd.

(अनिन्द कुमार...)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

खसरा नं0 231

पूरब	—	भूमि खसरा नं0 255
पश्चिम	—	भूमि खसरा नं0 228
उत्तर	—	भूमि खसरा नं0 230
दक्षिण	—	भूमि खसरा नं0 232, 250, 251

खसरा नं0 250

पूरब	—	भूमि खसरा नं0 251
पश्चिम	—	भूमि खसरा नं0 232
उत्तर	—	भूमि खसरा नं0 231
दक्षिण	—	भूमि खसरा नं0 249

खसरा नं0 256

पूरब	—	भूमि खसरा नं0 257, 258
पश्चिम	—	भूमि खसरा नं0 230, 255
उत्तर	—	भूमि खसरा नं0 79
दक्षिण	—	भूमि खसरा नं0 258

खसरा नं0 257

पूरब	—	भूमि खसरा नं0 260
पश्चिम	—	भूमि खसरा नं0 256
उत्तर	—	भूमि खसरा नं0 73
दक्षिण	—	भूमि खसरा नं0 258 व 259

खसरा नं0 260

पूरब	—	भूमि खसरा नं0 70, 261
पश्चिम	—	भूमि खसरा नं0 257, 259
उत्तर	—	भूमि खसरा नं0 72, 73
दक्षिण	—	भूमि खसरा नं0 262

खसरा नं0 261 स

पूरब	—	भूमि खसरा नं0 68
पश्चिम	—	भूमि खसरा नं0 260
उत्तर	—	भूमि खसरा नं0 260, 70
दक्षिण	—	भूमि खसरा नं0 262

For, Viraj Constructions Pvt. Ltd.

Director

(आनन्द कुमार सिंह)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

खसरा नं0 296/224

पूरब	—	भूमि खसरा नं0 224
पश्चिम	—	भूमि खसरा नं0 222
उत्तर	—	भूमि खसरा नं0 225
दक्षिण	—	भूमि खसरा नं0 223

खसरा नं0 295

पूरब	—	ग्राम सरायं शेख
पश्चिम	—	भूमि खसरा नं0 63, 64, 65, 66, 67, 266, 267, 294, 293
उत्तर	—	भूमि खसरा नं0 292, 291, 290, 289, 286, 285, 281, 280, 243, 242, 241, 238, 237
दक्षिण	—	ग्राम सरायं शेख

चौहद्दी ग्राम सराय शेख

खसरा नं0 51

पूरब	—	भूमि खसेरा नं0 52
पश्चिम	—	भूमि खसरा नं0 30
उत्तर	—	भूमि खसरा नं0 54
दक्षिण	—	भूमि खसरा नं0 340

खसरा नं0 62

पूरब	—	भूमि खसरा नं0 84
पश्चिम	—	भूमि खसरा नं0 61
उत्तर	—	ग्राम शाहपुर
दक्षिण	—	भूमि खसरा नं0 63

Construction [illegible]

Director

([illegible])
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

ग्राम सेमरा व शाहपुर परगना तहसील व जिला लखनऊ प्रचलित जिलाधिकारी सर्किल दर कृषि भूमि रूपया 40,00,000/– प्रति हेक्टेयर निर्धारित है जिसके अनुसार ग्राम सेमरा व शाहपुर स्थित भूमि क्षेत्रफल 8.294 हेक्टेयर की मालियत मु0 3,31,76,000/– रूपया व ग्राम सरायं शेख परगना तहसील व जिला लखनऊ प्रचलित जिलाधिकारी सर्किल दर कृषि भूमि रूपया 30,00,000/– प्रति हेक्टेयर निर्धारित है जिसके अनुसार ग्राम सराय शेख स्थित भूमि क्षेत्रफल 0.093 हेक्टेयर की मालियत मु0 2,79,000/– रूपया होती है इस प्रकार भूमि की कुल मालियत 3,34,55,000/– रूपया होती है जिस पर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से मु0 23,41,850/– रूपया का जनरल स्टाम्प पर यह पट्टा विलेख निष्पादित किया जा रहा है।

इस पट्टाविलेख के साक्ष्य में पट्टादाता की ओर से विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 5185/08–03–-2010–122 एल ए/09 दिनांक 10.12.2010 द्वारा अधिकृत श्री आनन्द कुमार सिंह सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ तथा पट्टेदार की ओर से अधिकृत श्री रवीन्द्र कुमार अग्रवाल, ने नीचे उन दिनों को हस्ताक्षर कर दिये हैं जो उनके हस्ताक्षर के नीचे दी गई है।

For, Viraj Constructions Pvt. Ltd.

Director

(आनन्द कुमार सिंह)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

पट्टा विलेख (30 वर्ष)

3,455,000.00		10,000.00		50	10,050.00	2,500
प्रतिफल	मालियत	औसत वार्षिक किराया	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

मै.विराज कान्स्ट्रक्शन प्रा.लि.द्वारा निदे.आर.के.अग्रवाल

पुत्र श्री स्व.बाबू बनारसी दास

व्यवसाय नौकरी

निवासी स्थायी 55,पुराना किला लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 23/3/2011 समय 6:42PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेश कुमार (प्रभारी)
उप-निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
23/3/2011

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता

पट्टा गृहीता

मै.विराज कान्स्ट्रक्शन प्रा.लि.द्वारा
निदे.आर.के.अग्रवाल
पुत्र श्री स्व.बाबू बनारसी दास
पेशा नौकरी
निवासी 55,पुराना किला लखनऊ

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन
श्री आनन्द कुमार सिंह सचिव ल.वि.प्रा.लखनऊ
ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिये उनकी उपस्थिति
और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नही है, और लेखपत्र
रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया।

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री अजय आनन्द वर्मा नायब तहसीलदार
ल.वि.प्रा.लखनऊ

पेशा नौकरी

निवासी

व श्री एस.एम.सादिक
पुत्र श्री स्व.बाकर हुसैन

पेशा नौकरी

निवासी 9,विक्टोरिया स्ट्रीट लखनऊ

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेश कुमार (प्रभारी)
उप-निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
23/3/2011

यह विलेख मा0 उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.एल.पी.(सी) संख्या 5774/2010 इन्द्रपाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन निष्पादित की जा रही है।

For, Viraj Construction Pvt. Ltd
Director

( )
आर.के. अग्रवाल
पुत्र स्व. श्री बाबू बनारसी दास,
निदेशक
मेसर्स. विराज कान्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, 55, पुराना किला लखनऊ–226001 की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत

(आनन्द कुमार सिंह)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण
श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से एवं उनके द्वारा अधिकृत

साक्षीगण
1
नाम– सुधाकर सिंह पुत्र स्व0 वीरेन्द्र सिंह
पता सी-32, सेक्टर-सी, सीतापुर रोड योजना, लखनऊ-226021

साक्षीगण
1
नाम – [illegible]
पता– ल0 वि0 प्रा0

साक्षीगण
2
नाम– S.M. Sartaj S/o Late S. Baquar Hussain.
पता 9-Victoria Street LKO

साक्षीगण
2
नाम – [illegible]
पता– ल0 वि0 प्रा0

टंकणकर्ता

पट्टा दाता

Registration No.: 3407

Year : 2,011

Book No. : 1

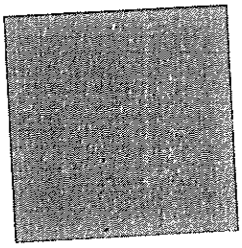

0101 : आनन्द कुमार सिंह सचिव ल.वि.प्रा.लखनऊ

नौकरी

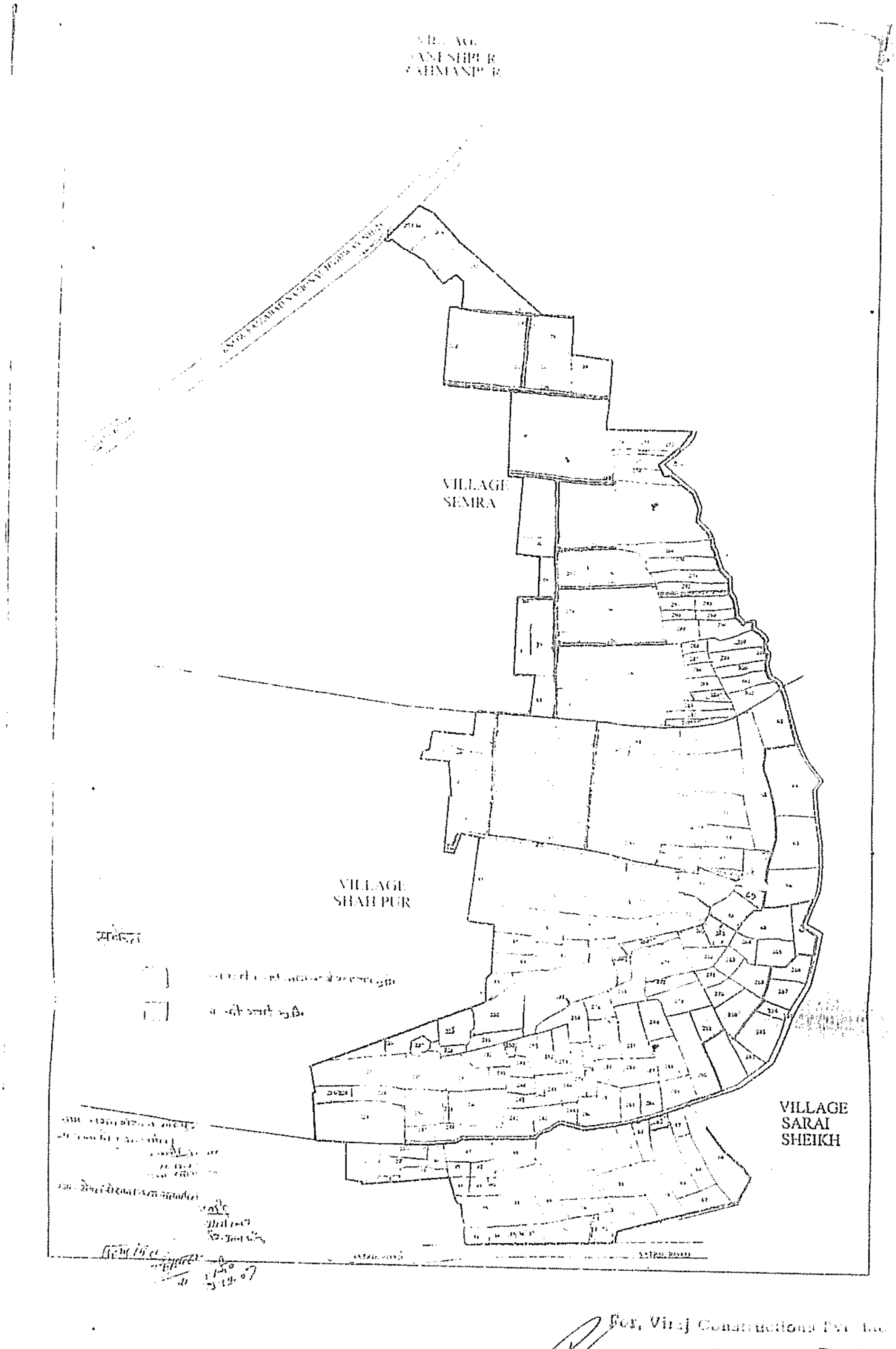

For, Viraj Constructions Pvt. Ltd.

Director

पट्टा गृहीता

Registration No. 3407 Year : 2,011 Book No. : 1

0201 मे.विराज कान्सट्रक्शन प्रा.लि.द्वारा निदे.आर.के.अग्रवाल
पु.बाबू बनारसी दास
पुराना किला लखनऊ
नौकरी

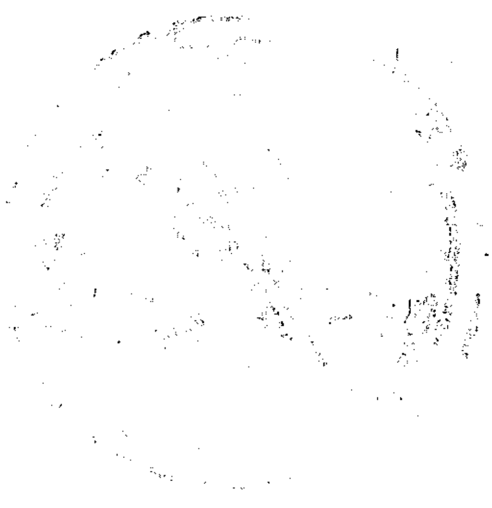

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा –32 ए0 के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता नाम व पता :–आनन्द कुमार सिंह सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

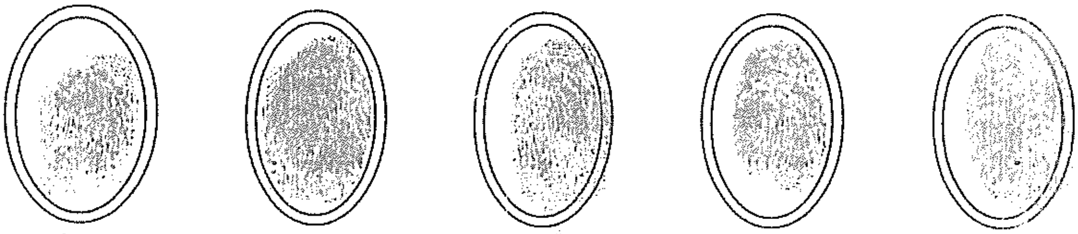

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

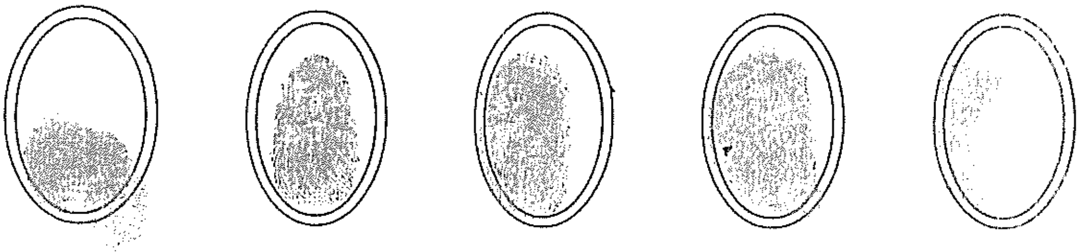

हस्ताक्षर

नाम व पता :– आर0 के0 अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री बाबू बनारसी दास निदेशक मेसर्स विराज कान्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0, 55 पुराना किला लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

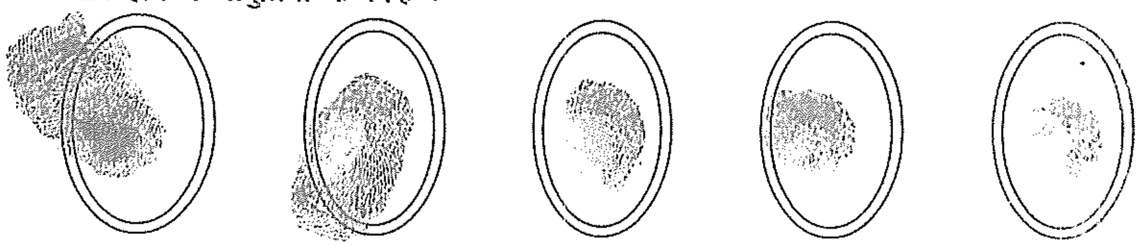

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

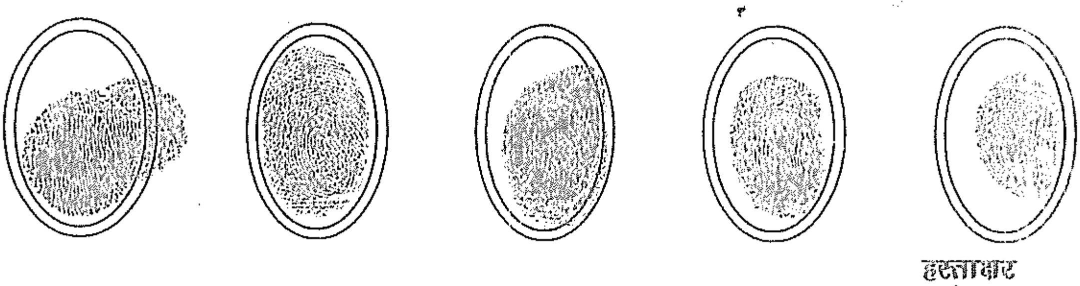

हस्ताक्षर

आज दिनांक **23/03/2011** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **10738**

पृष्ठ सं. **53** से **122** पर क्रमांक **3407**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेश कुमार (प्रभारी)
उप-निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
23/3/2011